5/7 ग्यारसीदेवी पुत्री उदाराम पत्नी कैलाश जाति माली निवासी रामसुखावाली ढा.देवीपुरा सीकर तहसील व जिला सीकर

5/8 मन्जूदेवी पुत्री उदाराम पत्नी महेश सेनी जाति माली निवासी रामूका बास देवीपरा तहसील व जिला सीकर

—प्रतिवादीगण

दावाः बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व मन्सुखी विकय पत्र

वकील वादीगण—श्री दीपेन्द्रसिंह जाखड

निर्णय

निर्णय तिथि 23.10.2019

वकील वादीगण द्वारा वाद—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मोहब्बतसरी की सरहद में भूमि ख.न. 215 वादीगण की ढाणी है जिसमें वादीगण मय अपने परिवार बाल बच्चों के आबाद हैं और ख.न. 214 वादीगण का चाह है, तथा भूमि ख.न. 216 व 209 वादीगण की काश्त की भूमि है। भूमि ख.न. 2430 प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की भूमि है तथा ख.न. 212 प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 की कृषि भूमि है और ख.न. 213 प्रतिवादी नं. 5 की उदाराम की पट्टेशुदा आवासीय भूमि है। ख.न. 212 के पुराने ख.न. 62 थे और ख.न. 214 लगायत 216 के पुराने ख.न. 61 थे। वादीगण को ख.न. 214 लगायत 216 में से अपनी भूमि ख.न. 209 में आने जाने का कोई रास्ता नही था इसलिये करीब 19—20 वर्ष पहले पुराने ख.न. 62 व नये ख.न. 212 की पूवी व उतरी सींव के सहारे सहारे प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 से पन्द्रह सौ रूपये में वादीगण के स्व0 पिता भोलाराम के आठ फुट चौडी जमीन खरीदी थी जो दावे के साथ प्रस्तुत नक्शे में लालरंग से दिखाई गई है। नक्शे को दावे का ही एक भाग माना जावे। यह लालरंग से दर्शाई गई भूमि आठ फुट चौडी है और कुल भूमि 9 बिश्वा करीबन है। उक्त भूमि की कीमत के पैसे नगदी अदाकर कब्ज उसी वक्त प्राप्त कर कर लिया था, तब से लेकर अबतक आने जाने व घास आदि पैदा करने में काम में लेते रहे हैं। इस खरीदशुदा भूमि मे वादीगण व वादीगण के परिवार के अलावा अन्य किसी को भी कोई भी अधिकार नही है और ना ही किसी को वादीगण व वादीगण के परिवार के अलावा अन्य किसी कोई भी अधिकार नही है और ना हिं किसी को वादीगण व वादीगण के परिवार के उक्त खरीदशुदा भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा डालने का कोई अधिकार है। उपरोक्त तथ्य को प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 ने मुकदमा नम्बर 143/81 सहायक जिलाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत राजीनामे में स्वीकार भी किया है। वादीगण की उक्त खरीदशुदा भूमि का कय विकय पत्र भी विकय के समय प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 तस्दीक करवाने को तैयार थे और नियमानुसार विकय पत्र तस्दीक नही करवाने की सूरत में भी प्रतिवादीगण नं. 3 लगायत 5 कानूनन वापिस कब्जा नही कर सकते हें। नक्शें में लाल रंग से दर्शित भूमि वादीगण की व्यक्तिगत सम्पति है अन्य को कोई अधिकार नही है।

प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 ने प्रतिवादी नं. 1 के स्व0 पिता भूराराम से साज करके वादीगण की भूमि ख.न. 216 व 212 में से वादीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि को हडपने के लिये एक नाजायज योजना बनाई और उसी नाजायज योजना की कियान्विति में प्रतिवादी नं. 3 ने स्व0 भूराराम के नाम से एक विकय पत्र तस्दीक करवाया और विकय पत्र में वादीगण द्वारा खरीदशुदा भूमि दर्ज की गई जबकि प्रतिवादी नं. 3 को वादीगण की खरीदशुदा भूमि को पुनः विकय करने का कोई अधिकार नही था। उक्त विकय पत्र में भूमि ख.न. 213 को पश्चिमी साईड छोछकर विकय करना बताया गया है जबकि भूमि ख.न. 213 की पश्चिमी सीमा दिशा में छोडने के बाद प्रतिवादी नं. 3 की कोई शेष भूमि नही रहती है जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी नं. 3 ने स्व0 भूराराम से साज कर वादीगण की भूमि को हडपने के लिये गलत विकय पत्र तस्दीक करवाया है। इस विकय पत्र के आधार पर वादीगण की खरीदशुदा भूमि जो दावे के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लालरंग से दिखाई गई है में प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते हैं। यह भूमि वादीगण की निजी भूमि है तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि ख.न. 214 लगायत 216 में भी कोई अधिकार नही है ओर विकय पत्र गलत रूप से करवाया गया है। इस विकय पत्र की आड में प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि ख.न. 214 लगायत 216 व खरीदशुदा भूमि मे से नाजायज रूप से रास्ता निकालना चाहते हें और जब जबरन रास्ता निकालने के लिये प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 ने प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 को आगे खडाकर झगडा करवाना चालू कर दिया है जबकि प्रतिवादीगण का वादीगण की भूमि में से आने जाने का कभी कोई रास्ता नही रहा

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

,स इरादे से प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 ने प्रतिवादी नं. 1 के स्व0 पिता भूराराम से झूठा मुकदमा दर्ज ाया था जिसकी बाबत सम्पूर्ण जांच करके पुलिस ने उक्त मुकदमे को झूठा माना है और मौके पर ावादीगण का कोई रास्ता होना नही माना है जिससे स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि में से तेवादीगण का कोई भी रास्ता कभी भी नही रहा है इसके बावजूद भी प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि , से जबर नाजायज रूप से नया रास्ता निकालना चाहते हैं जिनका उनको कोई अधिकार नही है।

प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का पश्चिमी तरफ जोहड में आने जाने का रास्ता भूमि ख.न. 246 में से उतरी सींव के पास पास से होकर रहा है उक्त रास्ते को प्रतिवादीगण ने बन्द कर दिया है परन्तु जोहड की सींव के पास भूमि ख.न. 246 की पश्चिमी सींव पर रास्ते के गेट अब भी मोजूद है और प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 अब भी भूमि ख.न. 246 के बीच में से आते जाते हैं आने मवेशी व गाडी आदि लोते व ले जाते हैं। भूमि ख.न. 246 को कासम यने खरीद लिया है जिसका विकय पत्र भी तस्दीक हो चुका है और प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 अब भी भूमि ख.न. 246 के बीच में से आते जाते हैं और अपने मवेशी व गाडी आदि लाते व ले जाते हैं भूमि ख.न. 246 को भी प्रतिवादी कासमखां ने खरीद लिया है जिसका विकय पत्र प्रतिवादी कासमखां ने अपने नाम से तस्दीक करवाया था या अपने परिवार के अन्य किसी सदस्य के नाम से तस्दीक करवाया था। इसी वजह से प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई और वे अपने पुराने रास्ते को बन्द कर नया रास्ता कायम करवाना चाहते हैं जिसका उनको कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 5 ने दिनांक 12.07.2001 को भी एलानिया धमकी दी है कि वे वादीगण की जमीन में से जबरन नया रास्ता निकालकर ही रहेंगे।

अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण की भूमि ख.न. 214 लगायत 216 व खरीदशुदा भूमि जो नक्शे में लालरंग से दिखाई गई है में से कोई रास्ता नही निकालें और नाहिं वादीगण के निजी रूप से उपयोग व उपभोग करने देवें। वादीगण की उक्त भूमि कृषि भूमि है जिसका खराब नही करे और नाहिं वादीगण की भूमि में से आने जाने की कोशीश करें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 5 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की और से वकील श्री सुरेशकुमार सीगड व प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 की और से वकील श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की और से जबाबदावा पेश नही करने पर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का जबाबदावा बंद किया गया। प्रतिवादी नं. 4 उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 3 की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत कर वर्णित किया गया कि यह रास्ते के लिये छोडी गई जमीन वादीगण की नही है ना ही वादीगण अकेले ने इसे काम में लिया है बल्कि यह रास्ता है जिस से कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है अपनी गाडी ले जा सकता है यह रास्ते आगे पूर्वी तरफ ग्राम बलवन्तपुरा जानेवाले रास्ते में मिल जाता है इस प्रकार यह रास्ते अकेले वादीगण का नही है ना ही वादीगण अकेल इसे अपने नाम करवाने के अधिकारी हैं। अगर वादीगण अकेले के नाम यह रास्ता दर्ज किया जाता है तो भी सभी पडोसियों के दिक्कत हो जायेगी। क्योंकि इसका दुरूपयोग कर वादीगण बंद करदेंगे। अतः रास्ते की जमीन प्रर्थीगण के खाते से हटाकर सरकारी खाते में दर्ज कर दी जावे जिससे सभी लोगों को फायदा हो व सभी भविष्य में रास्ता कोई भी व्यक्ति बंद भी नही कर सकें।

वादीगण इस वाद की आड में प्रार्थीगण द्वारा भूमि ख.न. 212 के अंदर से उतरी सीमा के सहारे सहारे छोडे गये 8 फुट चौडे रास्ते को हडपना चाहते है व इसे अपने नाम करवाकर प्रार्थीगण सहित अन्य पडोसियों जो इस रास्ते का उपयोग कर अपने खेतों में आते जाते हैं गाडिया ले जाते हैं उन्हे ये लोग बन्द करना चाहते हैं। वादीगण ने साफ मन्शा से दावा नही किया है बल्कि केवल सन 1981 से चालू रास्ते को बंद करने के लिये व अपने नाम दर्ज करवाने के लिये ही यह दावा किया है। सन 1981 के समझौते में भी रास्ते के लिये जमीन छोडी गई है जिसकी खातेदारी किसी भी सूरत में वादीगण के नाम नही हो सकती है तथा सन 1981 से यह जमीन लगातार रास्ते के काम आ रही है जिस पर अकेले वादीगण का कोई कब्जा नही है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी गय खर्चे सहित खारिज फरमाया जावे।

जबाबदावा प्रस्तुत होने पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई:–

1. तनकी नं. 1 :– आया विवादित भूमि ग्राम मोहबतसरी की सरहद में स्थित ख.न. 214 लगायत 216 व खरीदशुदा भूमि जो वाद पत्र के साथ प्रंस्तुत नक्शे में लालरंग से दिखाई गई है में प्रतिवादीगण कोई रास्ता नही निकाले व वादीगण को बेदखल नही किया जा सकता है।

–भा.स.वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

2. तनकी नं. 2:– आया वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है।
–मा.स.वादीगण
3. तनकी नं. 3:– आया विक्रय पत्र बहक रामकरण को शून्य व बेअसर करार दिया जाकर वादीगण के अधिकारों के खिलाफ बेअसर घोषित किया जा सकता है–मा.स.वादीगण
4. तनकी नं. 4:– आया वादीगण अपनी भूमि ख.न. 212 के अंदर से उतरी सीमा के सहारे सहारे छोडे गये 8फुट चौडे रास्ते को हडपना चाहते हैं, दावा की आड में तथा 1981 से चालू रास्ते को बंद के लिये यह दावा पेश किया है। रास्ते की जमीन पर वादीगण का कोई कब्जा नही है।
–मा.स.वादीगण
5. तनकी नं. 5:– आया विक्रय पत्र बहक रामकरण बनाया गया है वह सही बनाया गया व इसी जमीन से होकर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का रास्ता चालू है। –मा.स.प्रतिवादीगण

प्रतिवादीगण नं. 3/1 लगायत 3/5 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी बनवारी लाल, महेश कुमार व गवाह घनश्याम के चीफ के शपथ पत्र पेश किये। वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि को सार्वजनिक रास्ता घोषित करने हेतु निवेदन किया है। तनकी वार निर्णय निम्नानुसार है:–

1. तनकी नं. 1 :'– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वाद–पत्र में वादीगण ने प्रश्नगत भूमि में रास्ता नही निकालने की रिलीफ चाही है जबकि वादीगण द्वारा दौराने बहस में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि हालांकि उक्त भूमि वादीगण के पूर्वज भोलाराम की क्रय की हुई भूमि है जिसकी बाबत न्यायालयों में काफी वर्षों से मुकदमेबाजी चल रही है जिनमें उक्त भूमि वादीगण के रास्ते बाबत होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया है। वादीगण आगे कोई विवाद नही चाहते हैं इसलिये न्यायालय उक्त विवादित भूमि को सार्वजनिक रास्ता घोषित कर दिया जाने का निवेदन किया गया है। अतः दोनो तथ्यों में विरोधाभाष होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।
2. तनकी नं. 2:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा रास्ते को अपने नाम के स्थान पर सार्वजनिक घोषित करने का निवेदन किया गया है अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्यायसंगत नही होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।
3. तनकी नं. 3:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध किया जाता है।
4. तनकी नं.: 4 – इन तनकियाता को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वादग्रस्त रास्ता आराजी को राजकीय घोषित करने का निवेदन किया गया है। अतः भूमि हड़पने का तथ्य प्रमाणित नहीं होने से इस तनकियात का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।
5. तनकी संख्याः 5 – इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर था। विक्रय पत्र सही होने या नही होने का विवेचन करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता है।

अतः निर्णय तनकीयात अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-10-19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा स्थाई निषेधाज्ञा व मन्सुखी विकय पत्र बाबत

मुकदमा सं0:– 92/2001 (चुन्नीलाल आदि बनाम रामकरण आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23.10.2019 निर्णय अनुसार वाद वादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन............–.................... मुबलिग...........–............बाबत......–................खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह........................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.............का अदा करे। बुसबक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 23 माह 10 सन..2019. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	15.00	मुतफरिक मिजान	0.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.07 10:49:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: